होते हैं। लेकिन यदि वह जीवन निर्वाह,
शिक्षा तथा दवाई आदि का अनुबन्ध
करता है तो वह वैध होगा। वयस्क व्यक्ति,
जनजाति आदि उस समय पुनर्निर्णय अनुबन्ध
कर सकता है जिस समय वह मानसिक
रूप से स्वस्थ रहता है।

Free Consent →

बीच सम्मति का अर्थ पक्षकारों के
स्वतन्त्र डाला गया है। उनकी मर्जी के विरुद्ध
प्रभाव, मिथ्याकथन, भूल अथवा कपट न
की गई हो। उत्पीड़न, अनुचित

Consideration → वैध अनुबन्ध के लिए प्रतिफल
का होना आवश्यक है। कुछ अपवादों को छोड़कर
बिना प्रतिफल के सारे ठहराव व्यर्थ होते हैं।
ठहराव के अनुबन्ध वैध हो ही
नहीं सकता है। अतः प्रतिफल का वैधानिक
होना आवश्यक है। यह भूत, वर्तमान और
भविष्य तीनों हो सकता है। लेकिन English
law में यह Present और future ही
माना जाता है।

Lawful object → समझौते का सम्बन्ध
किसी ऐसे विषय से नहीं होना चाहिए
जो अवैधानिक हो अर्थात अनुबन्धों का
उद्देश्य अनैतिक अथवा लोकनीति के
विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

Contract not express by declared to be void →

समझौते का सम्बन्ध किसी ऐसे विषय से
नहीं होना चाहिए जो अवैधानिक हो
अर्थात अनुबन्धों का उद्देश्य अनैतिक अथवा

(2)

(3) स्वतन्त्र सहमति (Free Consent)
(4) प्रतिफल (Consideration)
(5) वैधानिक उद्देश्य (Lawful object)
(6) अनुबन्ध स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया जाना चाहिए
(Contract not expressly declared to be void)
(7) वैधानिक औपचारिकताओं का पालन (Compliance of legal formalities)

Agreement → समझौता वैध अनुबन्ध की एक आवश्यक शर्त है। समझौता से ही वैध अनुबन्ध का निर्माण होता है। बिना इसके अनुबन्ध हो ही नहीं सकता है। इसके दो भाग प्रस्ताव तथा स्वीकृति शामिल है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय समझौते के लिए प्रस्ताव एवं स्वीकृति केवल निश्चित ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे निर्धारित रूप से स्वीकार भी किया जाना चाहिए। प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना अवश्य देनी चाहिए। साथ ही समझौते का अभिप्राय पक्षकारों के बीच वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने का होना चाहिए।

Competency of parties → एक वैध अनुबन्ध के लिए पक्षकारों के बीच सक्षमता भी होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, विधान द्वारा प्रसंविदा के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। विधान में कुछ ऐसे भी व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो प्रसंविदा करने के लिए योग्य नहीं है चाहे उसका कारण राजनैतिक हो, सामाजिक हो अथवा वैधानिक उदाहरण के लिए विदेशी शत्रु, राजदूत आदि अवयस्क व्यक्ति द्वारा किए गए सारे समझौते व्यर्थ

Scanned with CamScanner

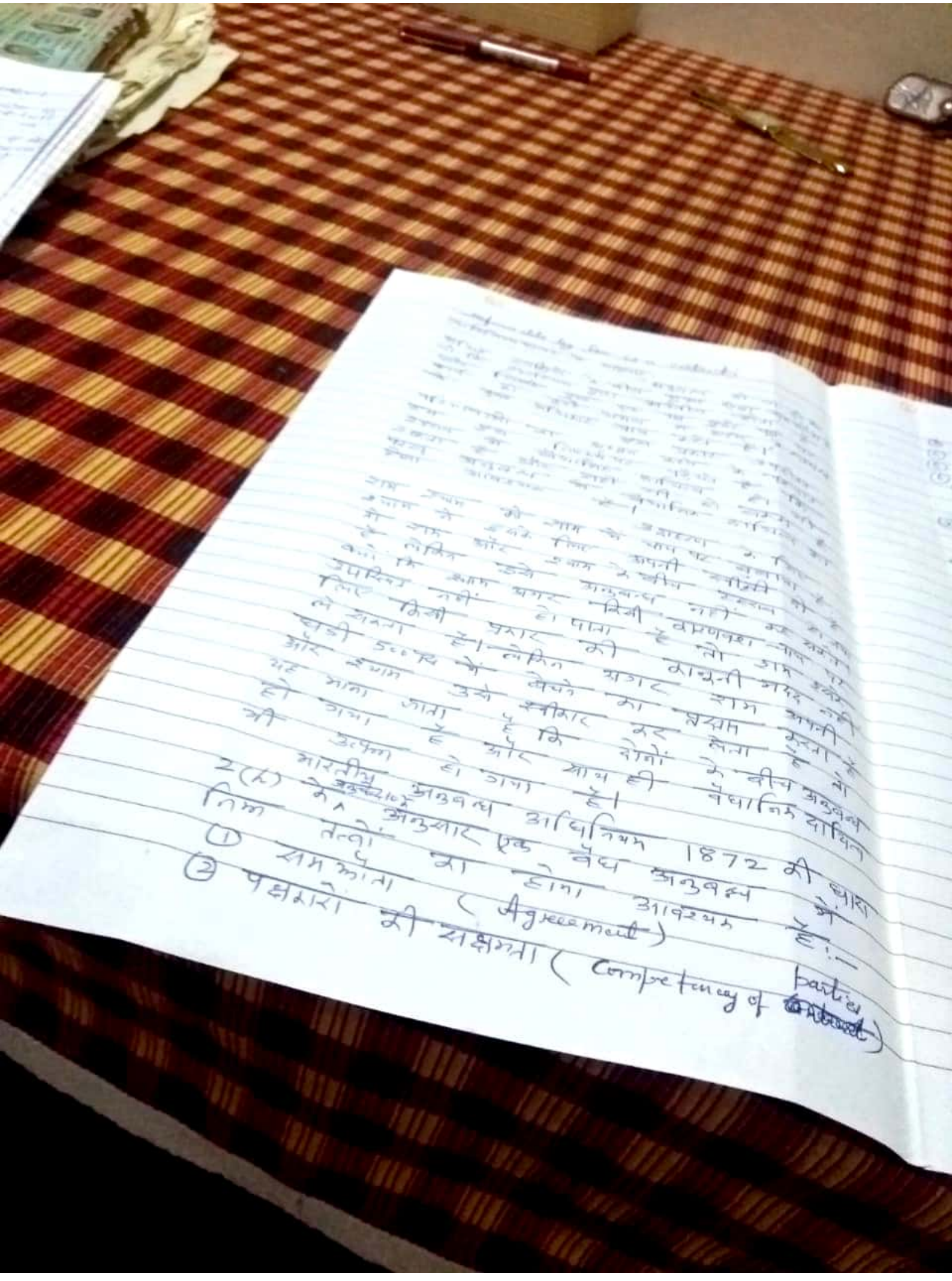

[illegible]

राम श्याम को आम के उदाहरण [illegible] श्याम ने इसके लिए [illegible] राम और श्याम के बीच [illegible] है लेकिन उसे [illegible] अनुबन्ध नहीं [illegible] क्यों कि आम अगर [illegible] उपस्थित नहीं हो पाता है [illegible] किसी प्रकार की [illegible] ले सकता है। लेकिन अगर [illegible] कानूनी [illegible] घड़ी 5000 में बेचने का प्रस्ताव राम [illegible] और श्याम उसे स्वीकार कर लेता है तो यह माना जाता है कि दोनों के बीच अनुबन्ध हो गया है और साथ ही वैधानिक दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) के अनुसार एक वैध अनुबन्ध में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है:—

① समझौता (Agreement)

② पक्षकारों की सक्षमता (Competency of ~~contract~~ parties)

Scanned with CamScanner

(1)

B.Com III

Business Law

[illegible]

An agreement enforceable by law is a contract."

Ans → सामान्य अर्थ में ठहराव तथा अनुबन्ध में कोई अन्तर नहीं माना जाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो समझा जाता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच अनुबन्ध की सृष्टि हो गई है। लेकिन विधान के अन्तर्गत ठहराव तथा अनुबन्ध में एक आधारभूत अन्तर पाया जाता है। सभी ठहराव को अनुबन्ध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। सिर्फ वैसे ही ठहराव जिनके लिए कोई एक पक्षकार न्यायालय की सहायता से दूसरे पक्षकार को मानने के लिए बाध्य या मजबूर कर सकता है, अनुबन्ध कहलाता है। अर्थात पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व का होना आवश्यक है। इस तथ्य को विभिन्न शब्दों में निम्न परिभाषाओं में भी स्पष्ट किया गया है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) के अनुसार

"वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबन्ध कहलाता है।"

(An agreement enforceable by law is a contract)

सर फ्रेड्रिक पोलक के अनुसार

"प्रत्येक ठहराव या वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो अनुबन्ध कहलाता है।"

(Every agreement and promise

Ajanta Milky

Scanned with CamScanner

लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

Compliance of legal formalities → समझौता का लिखित एवं पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि किसी भी देश के विधान के अनुसार यह आवश्यक हो।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तत्वों में से किसी एक के भी अभाव में प्रसंविदा वैध नहीं हो सकता है।

Sunil Kumar
06/05/2020

Scanned with CamScanner